तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भवानीसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ.अपील सं0 41/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.24	अपीलार्थी भवानीसिंह ओड पुत्र आईदानसिंह ओड निवासी बुडियों की बासनी, लवेराखूर्द जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.09...2023. में उसके द्वारा (1) पूर्व तहसील ओसिया वर्तमान तहसील बावड़ी के ग्राम लेवराखूर्द (वर्तमान ग्राम बुड़ियों की बासनी के खसरा संख्या 479 में दिनांक 26.12.1975 को हड़मानराम पुत्र धर्माराम जाट के नाम से आंवटन भूमि के संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का [illegible] (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) से जरिये पत्रांक 1627 दिनांक [illegible].11.[illegible]3 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही [illegible] कार्यालय हाजा के रेकर्ड का अवलोकन करने पर संबं[illegible] दस्तावेज नहीं पा[illegible]। प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक आर.टी.आई./20[illegible]/702 दिनांक 20.09.2[illegible] सूचित कर दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड नहीं होने बाबत् लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:13:34 IST
Reason: SelfAttested